

बिहार सरकार

विधि विभाग

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....⁸⁰/जे0, पटना, दिनांक 10-03-18

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शिवहर ।

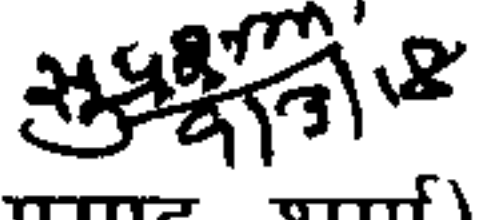
विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0001-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता के अन्तर्गत 28.03-कन्सल्टेंसी (प्रतिधारण शुल्क हेतु) विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मो0-2,24,000/- (दो लाख चौबीस हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- पत्रांक-66/वि0प0, दिनांक-21.02.2018

आदेश:- स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0001-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता के अन्तर्गत कन्सल्टेंसी विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
4. विधि विभाग के ज्ञाप संख्या-1227/जे0, दिनांक-15.02.2018 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध की स्वीकृति के फलस्वरूप राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
5. कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
6. इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001140001 है

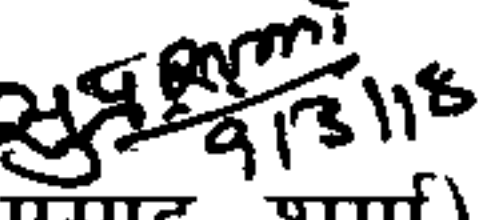
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....⁸⁰/जे0, पटना, दिनांक 10-03-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....⁸⁰/जे0, पटना, दिनांक 10-03-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-25/2017.....⁸⁰/जे0, पटना, दिनांक 10-03-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

10-03-18